

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास

- भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। तदनुसार समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है।

जुलाई 2021 तक की स्थिति में

- डीएमएफ में प्राप्त अंशदान, राशि करोड़ रूपये में।

कुल प्राप्त अंशदान	कोल खनिज	नॉन कोल खनिज	गौण खनिज
7314.77	3764.11	3326.07	224.59

- वित्तीय वर्षवार जमा अंशदान, राशि करोड़ रूपये में।

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
266.70	1279.21	1133.67	1233.89	1374.31	1464.53	569.86

- स्वीकृत कार्य, राशि करोड़ रूपये में।

लागत राशि	कुल कार्य संख्या	कुल व्यय	जिले में पूर्ण कार्य	स्कैप/रदद कार्य	प्रगतीरत
7215.09	53335	4965.50	33047	4008	16280